न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025 / 1149

1. सुभाष सिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी ग्राम पुर, तहसील कोटकासिम, थाना कोटकासिम जिला खेरथल–तिजारा।

–अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट 1959 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा क्रमांक / न्याय / आर्म्स / 2025 / 336 दिनांक 18.02.2025 जिसके द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते नवीनीकरण शस्त्र अनुज्ञा पत्र (आर्म्स लाईसेन्स) को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री नरेश कुमार जैन, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.10.2025

1. यह अपील आर्म्स अधिनियम 1959 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा के निर्णय दिनांक 18.02.2025 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट हरिप्रसाद पुत्र श्री किशनलाल यादव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा के समक्ष लाइसेंस नवीनीकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण प्रार्थना पत्र नवीनीकरण खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 18.02.2025 को दिये गये।

3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा के उक्त निर्णय दिनांक 18.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा दिनांक 18.02.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा लाईसेन्स संख्या LN29482A7A22018 यू.आई.एन. नम्बर 294820006753942015 अवसान की तारीख

31.12.2023 के नवीनीकरण हेतु दिनांक 21.12.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार जांच उपरान्त चालान से नवीनीकरण शुल्क राशि जमा कराया जाकर संबंधित थानाधिकारी द्वारा नियमानुसार निरीक्षण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में नवीनीकरण हेतु प्रारूप से साथ प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया परन्तु क्षेत्राधिकार नया जिला जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा के पदस्थान होने के उपरान्त अविलम्ब प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलार्थी किसी प्रकार के अपराधिक मामले या गतिविधियों में लिप्त नहीं है ना ही उसके खिलाफ कोई आरोप है। अपीलार्थी के जीवकोपार्जन एकमात्र साधन उक्त लाईसेंन्स ही है। अपीलार्थी द्वारा आर्म्स अधिनियम व नियमों के किसी भी शर्त का कोई उल्लंखन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र 40 दिवस के विलम्ब के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये जबकि उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नवीनीकरण की अंतिम सीमा से पूर्व आवेदन किये जाने के संबंध में अवगत करा दिया था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2025 निरस्त फरमाया जाकर लाईसेन्स नवीनीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही गृह (ग्रुप–9) विभाग राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 30.05.2019 आर्म्स नियम 2016 के नियम 24 उपनियम 2 अनुसार ही आवेदन निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की दशा में ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 18.02.2025 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञापत्र की अवधि दिनांक 31.12.2023 समाप्त होने के 10 दिवस पूर्व दिनांक 21.12.2023 को किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा द्वारा अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि (60 दिवस पूर्व) आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से विलम्ब के संबंध में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में नवीनीकरण हेतु आवेदन सहवन से जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, परन्तु क्षेत्राधिकार परिवर्तित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2023(2)आर.आर.टी. पेज 1115 में अभिनिर्धारित किया गया है कि

"Condonation of delay-liberal and Justice oriented approach needs to be adopted-Substantive rights of the parties should not be defeated only on the geound of delay-Dicision on which the impugned judgment is based has been overruled is not a ground to condone the delay-Application under Saction 5 was drafted very casually- Held, Delay condoned to subserb the justice."

माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख (लिबरल अप्रोच) अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत् पारित नजीरों के आलोक में डिले कण्डोन किया जाना उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार

12
संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा का आदेश क्रमांक/प. न्याय/2025/406 दिनांक 03.03.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के विलम्ब को क्षम्य करते हुये नियमानुसार निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।